न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

प्रकरण संख्या 288/2012
प्रविष्टि दिनांक 15-2-2012

उनवान

श्रीमति मोत्या देवी पत्नि श्री श्योजी लाल गुर्जर निवासी जयपुर रोड सन्थली तह0 देवली जिला टोंक

.... आवेदक

बनाम

1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अति0 जिला कलेक्टर, टोंक)

2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... विपक्षी

आवेदन अन्तर्गत धारा 3(जी) राष्ट्रीय राज मार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित-(1) श्री विजय पारीक अभिभाषक आवेदक
(2) श्री रामधन सेनी अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 13-11-2019

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के कि.मी. 52/481 से 157/500 किलो मीटर के खण्ड जयपुर-टोंक-देवली के 4/6 लेन निर्माण हेतु भूमि अवाप्त की गई है। आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 1564 रकबा 0.0900 है0 वाके ग्राम सन्थली में स्थित है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के लिए अवाप्त की गई है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर दुकाने, पक्का मकान व टीनशेड आदि का मुआवजा 453479/रू0 दिया गया है जो कम दिया गया है। प्रार्थी को दिया गया मुआवजा वर्तमान दरों को ध्यान में रखकर नही दिया गया है। अतः वर्तमान दरों का ध्यान में रख कर 859000/रू0 मुआवजे का भुगतान कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति एंन0एच012 जिला टोंक क्षेत्र(अति0 जिला कलेक्टर) टोंक से रिपोर्ट तलब की गई।

आरबीट्रेटर
राष्ट्रीय राजपथ नं. 12
(जिला कलेक्टर) टोंक

Scanned by CamScanner

अभिभाषक अप्रार्थी नम्बर –2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी 3ए गजट नोटिफिकेशन दि0 14.07.09 के वक्त निर्धारित डीएलसी दर से खसरा नम्बर 1564 का अवाप्त रकबा 900 वर्ग मीटर का आवार्ड दिनांक 29–6–2011 के द्वारा मोत्या देवी पत्नि श्योजीलाल गूर्जर के नाम बनाया जाकर चेक दिया जा चुका है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिगृहित भूमि की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि की किस्म व मौके पर अधिग्रिहित भूमि की स्थिति व उपयोगिता आदि का पूर्ण ध्यान रखते हुए सम्बन्धित दस्तावेजों की जॉच करके तथा प्राप्त समस्त आपत्तियों का निस्तारण कर आवाप्तशुदा भूमि पर स्थित निर्माण आदि के मुआवजे का निर्धारण के लिए सर्वे करवाया जाकर सर्वेयर द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर निर्माण/संरचनाएँ आदि का मुल्यांकन कराया जाकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाने के पश्चात अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण कर नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है जो कि उचित एंव कानूनी है। प्रार्थी नितान्त गल्त आधारों पर अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है, जो विधि विरूद्व होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी को यदि मुआवजा राशि के निर्धारण व अवाप्ति के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी तो प्रार्थी को 3 ए गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी परन्तु प्रार्थी ने कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही की है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवेदक के मकानों के सम्बन्ध में प्रतिपक्षीगण सं0 1 की कमेटी द्वारा जो निर्माण के सम्बन्ध में आंकलन किया है, वह 30 वर्ष पुराना किया गया है, जबकि आवेदक द्वारा हरीश गोयल जो कि बी0ई0 सिविल प्रोपफेश्नल इंजिनियर पेनल वेलुअर द्वारा जो (रजि0 वेल्युअर है) ने आवेदक के निर्माण 11 वर्ष पुराना बताया है। सरर्वेयर के हिसाब से उक्त सम्पत्ति की वेल्यु 641709/रू0 मानी है जबकि प्रतिपक्षी सं0 1 की कमेटी द्वारा भुगतान 453479/रू0 का किया है। वास्तव में आवेदक के 859000/रू0 होते हैं। अतः अवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त कारणें से आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाकर 453479/रू0 के पारित आवार्ड को निरस्त किया जाकर 859000/रू0 का अवार्ड आवेदक के हक में जारी फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दोरान कथन किया कि वादग्रस्त आराजी की किस्म के हिसाव से 3ए गजट नोटिफिकेशन दिनांक 14.07.09 के वक्त निर्धारित डीएलसी दर के आधार पर मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र जॉच ऐजेन्सी मैसर्स अजीत सर्वे एण्ड कन्सलटेंन्ट के माध्यम से अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित संरचनाओं का मुल्यांकन करवाया गया। तपश्चात रेट निर्धारित की गई है, जो कि नेशनल हाइवे एक्ट के प्रावधानो के तहत निर्धारित की गई है। प्रार्थी नितान्त गल्त आधारों पर

Scanned by CamScanner

अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है जो विधि विरूद्व होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या– 2 की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, अवार्ड व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब/बहस का अवलोकन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक के पत्र क्रमांक 152 दिनांक 5–6–2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 1564 रकबा 0.0900 है0 वाके ग्राम सन्थली में स्थित है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के लिए अवाप्त की गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मौके की स्थिति व रेकार्ड के आधार पर प्रश्नगत अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित दुकाने, पक्का मकान व टीनशेड आदि का दिया गया मुआवजा 453479/रू0 का अवार्ड बनाया जाकर आयकर राशि 45348/रू0 काटी जाकर 408131/रू0 का चेक मोत्या देवी पत्नि श्योजीलाल गूर्जर के नाम बनाया जाकर दिया जा चुका है। राष्ट्रीय राज मार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा जारी अवार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। । अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। प्राप्त रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

(के0के0 शर्मा)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

आरबीट्रेटर
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12
टोंक
(जिला कलेक्टर) टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.11.22 12:05:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: